

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद महाराजगंज की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु 02.08.2021 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

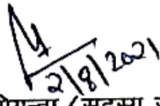
जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म में 0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) 6वां तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हायात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई द्वारा प्रस्तुत 83 नग डी0पी0आर के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव:-

जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण एवं संचालन/अनुरक्षण (10 वर्ष) हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या-2134/W-22/NIT/2020-21 दिनांक 13.01.2021 के माध्यम से में 0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) 6वां तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हायात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई को 446 राजस्व ग्राम आवांठित किये गये हैं।

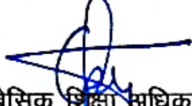
उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पत्रांक 245/कार्य-114/29 दिनांक 27.03.2021 के माध्यम से 249 राजस्व ग्रामों तथा पत्रांक 278/कार्य-114/42 दिनांक 08.04.2021 द्वारा के माध्यम से 197 राजस्व ग्रामों अर्थात् कुल 446 राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए तत्काल डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदित कराये गये 7 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 390/कार्य-114/60 दिनांक 05.06.2021 द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये गये हैं।

पुनः में 0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) 6वां तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हायात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई द्वारा 83 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 83 ग्राम पंचायतों के 101 राजस्व ग्रामों की कुल 380 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 46836 घरों को FHTC प्रदान किया जाना है।

निर्णय:- अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, महाराजगंज द्वारा कुल 83 ग्राम पंचायतों के 101 राजस्व ग्रामों की कुल 380 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्रस्तुत किये गये 83 नग डी0पी0आर0 तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ कोषाधिकारी महाराजगंज द्वारा प्राक्कलन में 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 12.50 प्रतिशत सेन्टेज मात्र कार्य की लागत पर लगाया जाना चाहिये। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्राक्कलन में कार्य लागत एवं कंटीजेन्सी मद पर 12.50 प्रतिशत सेन्टेज लगाया गया है जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा SWSM से मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। साथ ही अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा DPR में सोलर पावर प्लान्ट की दरें तथा क्रय नेडा से किया जाना है अथवा नहीं एवं ISA द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधिया को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त कर उपलब्ध कराकर अनुपालन करते हुये स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रेषित करने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम को दिये गये।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम, महाराजगंज


जिला विकास अधिकारी
महाराजगंज


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज

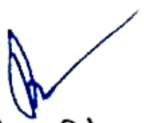

जिला कृषि अधिकारी
महाराजगंज

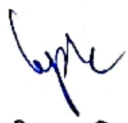

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
महाराजगंज

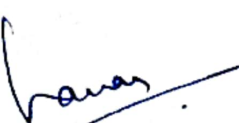

अधिशासी अभियन्ता (सिचाई)
महाराजगंज

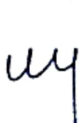

मुख्य चिकित्साधिकारी,
महाराजगंज


वरिष्ठ कोषाधिकारी
महाराजगंज


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महाराजगंज


प्रमाणीय वनाधिकारी,
महाराजगंज


मुख्य विकास अधिकारी,
महाराजगंज


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
महाराजगंज